

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6९0/प्राक्क1-1035/2018- **1335**

पटना - 15, दिनांक :- **26/6/18**

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय - वर्ष 2018-19 में राज्य योजना अन्तर्गत सिवान जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान में पूर्व से निर्मित 10 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाएँ यथा हर्षाटोली, पचरूखी, गोरेयाकोटी, रघुनाथपुर, खालीसपुर, बसंतपुर, प्रतापपुर, हुसैनगंज, जलालपुर एवं रजनपुरा योजनाओं में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु योजनावार योजना की स्वीकृति।

आदेश - राज्य योजना अन्तर्गत सिवान जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान में पूर्व से निर्मित 10 अदद ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाएँ यथा हर्षाटोली, पचरूखी, गोरेयाकोटी, रघुनाथपुर, खालीसपुर, बसंतपुर, प्रतापपुर, हुसैनगंज, जलालपुर एवं रजनपुरा योजनाओं में "हर घर नल का जल निश्चय योजना" के तहत पाईप लाईन का विस्तार कर हर घर नल से आच्छादित करने हेतु योजनावार योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

2. राज्य योजना अन्तर्गत सिवान जिला के लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सिवान में निम्न ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत पाईप लाईन का विस्तार एवं इससे आच्छादित वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य कर संतुष्ट किया जाना है इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु योजनावार राशि एवं वार्ड निम्नवत् हैं :-

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का नाम	वार्ड संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिवान	सिवान	दरौंधा	हरसार	हर्षाटोली	12, 13 एवं 14	25.101
2			पचरूखी	पचरूखी	पचरूखी	1, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8	72.116
3			गोरेयाकोटी	गोरेयाकोटी	गोरेयाकोटी	6, 11, 12 एवं 13	44.624
4			रघुनाथपुर	रघुनाथपुर	रघुनाथपुर	1, 7, 8 एवं 11	19.21
5			सिवान	बघरा	खालीसपुर	5, 6, 8, 9 एवं 10	51.331
6			बसंतपुर	बसंतपुर	बसंतपुर	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9	67.427
7			हुसैनगंज	खानपुर खैराती	हुसैनगंज	1, 3, 4, 5 एवं 6	43.792
8			हुसैनगंज	पकवालिया	प्रतापपुर	10, 11, 12 एवं 13	39.605
9			दरौंधा	जलालपुर	जलालपुर	3, 6, 9, 11, 13 एवं 14	51.414
10			हसनपुरा	रजनपुरा	रजनपुरा	6, 7, 8, 9 एवं 10	37.831
कुल राशि							452.451

3. इन योजनाओं के मुख्य अवयव पाईप लाईन का विस्तार, पाँच वर्ष के लिए संचालन एवं रख-रखाव (विद्युत ऊर्जा पर व्यय सहित) तथा कॉलम-7 में अंकित वार्डों में गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है।

4. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का (I) मुख्य शीर्ष - 2215-जल पूर्ति तथा सफाई - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0106-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड -36-2215011020106 - विषय शीर्ष - 0106.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण तथा (II) मुख्य शीर्ष - 2215-जल पूर्ति तथा सफाई - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0104- मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-2215017890104 - विषय शीर्ष - 0104.31.05-सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों का निर्माण मतदेय शीर्षों में भारतव्य होगा।

15/4/18

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सिवान होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी सिवान कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

7. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

8. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के सेकल्प संख्या – एम4-53/2007/3758 /वि0 दिनांक – 31-05-17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गयी है।

9. वर्ष 2018-19 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

10. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

Mas/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 6ए0/प्राक्क1-1035/2018 – 1555 पटना – 15 दिनांक :- 26/6/18

प्रतिलिपि –वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग / जिला पदाधिकारी, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव / कार्यपालक अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा – 4 / 6 / कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई0 टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Mas/6/18
(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

BM